

रूस से देश लाया गया भारतीय छात्र अजीत का शव अलवर में हुआ अंतिम संस्कार



जयपुर, एजेंसी। रूस में लापता हुए राजस्थान के अलवर जिले के 22 वर्षीय मेडिकल छात्र अजीत चौधरी का शव सोमवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया। उनके गांव कफनवाड़ा में मातम पसरा रहा, जहां परिवार और ग्रामीण युवा छात्र को अंतिम विदाई देने के लिए जुटे।

करीब दो हफ्ते से लापता था भारतीय छात्र :अजीत चौधरी रूस के उफा शहर के बंशिकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एम्बीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। वे 19 अक्तूबर से लापता थे। करीब दो हफ्ते बाद, 6 नवंबर को उनका शव व्हाइट रिवर के पास एक बांध में मिला। छात्र के मौत की खबर मिलते ही परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा।

पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार:परिजन भंवर सिंह ने बताया कि रूस में एक बार पोस्टमॉर्टम किया गया था। भारत पहुंचने के बाद सोमवार को अलवर के जिला अस्पताल में दोबारा पोस्टमॉर्टम किया गया। इसके बाद शव को गांव ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया।

सोनभद्र की खदान में 45 घंटे से रेस्क्यू 5 शव मिले, 9 की तलाश



सोनभद्र, एजेंसी। यूपी के सोनभद्र में खदान हादसे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए 45 घंटे से अधिक समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। NDRF-SDRF की टीम पथरों को हटाने में जुटी हुई है लेकिन अभी तक स्पॉट तक वे नहीं पहुंच सकी हैं। पानी से भरी खदान का हर इंच रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा है। हर गिरे बोल्टर के साथ नई चुनौती सामने आ रही है। डीएम बीएन सिंह ने बताया कि 70 से 75 टन वजनी चट्टानों को हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। लॉग स्क्वाड गहराई में छिपे जीवन के किसी संकेत की तलाश में जुटा है। खदान से कुछ दूरी पर परिजन और गांववाले डेरा डाले हुए हैं। परिजन खदान के बाहर हर आवाज पर चौक जा रहे कि शायद कोई बचा हो, शायद कोई पुकार सुनाई दे जाए।

हादसा 15 नवंबर (शनिवार) को दोपहर करीब 3 बजे ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली स्थित कृष्णा माइनिंग स्टोन की खदान में हुआ था। ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का 100 फीट हिस्सा टूटकर गिर गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 14 मजदूर मलबे में दब गए थे।

प्रत्यक्षदर्शी राजू यादव ने बताया था कि खदान में नौ कप्रेशर पर कई मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच पहाड़ टूट गया। कुछ मजदूरों ने भागकर जान बचाई तो कुछ मलबे में दब गए। उधर, मलबे से अब तक 5 शव मिल चुके हैं। इनमें से 4 की पहचान हो चुकी है। रविवार देर रात रेस्क्यू टीम ने 2 शव बरामद किए। अभी भी 9 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है।

मीडिया ऑडिटर



रियाद, एजेंसी। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और इसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, हादसे में सिर्फ बस का ड्राइवर ही जिंदा बचा।

हैदराबाद पुलिस के मुताबिक,

9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी गए थे। वे 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग रविवार को कार से अलग से मदीना गए थे। वहीं 4 लोग मक्का में रुक गए थे। दुर्घटना वाली बस में 46 लोग सवार थे।

मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 25 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समयानुसार रात लगभग 1:30

उमरा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जली; सिर्फ ड्राइवर जिंदा बचा

बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे। उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला।

तेलंगाना सरकार ने कहा है कि वह रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दूतावास से नजदीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान और औपचारिकताओं में मदद करें।

12 मृतकों के नाम सामने आए : हादसे में मारे गए लोगों में से 12 भारतीय पीड़ितों की पहचान हो पाई है, उनमें अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली, गौसिया बेगम शामिल हैं।



भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया

जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन जारी किया है। दूतावास ने कहा , सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुर्घद बस दुर्घटना को देखते हुए , जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया हेल्पलाइन का संपर्क विवरण 8002440003 है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी ले सकें। परिवारजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं- 79979-59754 और 99129-19545।

शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई,मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार

ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश

ढाका, एजेंसी।

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री आसदुज्जमान खान कमाल को फांसी की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। हसीना के फैसले को लेकर

देशभर में हिंसा जारी है। सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा कर दी है। ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इन्हें हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। शनिवार देर रात से रविवार सुबह तक ढाका में दो बसों को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देशभर में सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

शेख हसीना के बेटे बोले- मेरी मां भारत में सुरक्षित

:अल जजीरा के मुताबिक शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने कुछ दिन पहले पत्रकारों से कहा था कि उन्हें पहले से पता है कि उनकी मां को मौत की सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हसीना भारत में सुरक्षित हैं और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनकी पूरी रक्षा करेंगी।

वाजेद ने कहा कि शेख हसीना 5 बार प्रधानमंत्री रही हैं और देश में उनके

बहुत समर्थक हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग बांग्लादेश की दो सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है। इसलिए वे इस फैसले को हल्के में नहीं लेंगे।

तीनों आरोपी कहा है?

शेख हसीना के अलावा, इस मामले में अन्य दो आरोपी पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान और पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ल अल-ममून हैं। तीनों आरोपियों में से शेख हसीना और आसदुज्जमान फरार हैं। दोनों अब भारत में रह रहे हैं। वहीं, तीसरे आरोपी चौधरी अब्दुल्ल अल-ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं।

पूर्व बांग्लादेशी IGP ने कोर्ट से माफ़ी मांगी

:बांग्लादेश के पूर्व IGP ममून ने कोर्ट से माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैंने कोर्ट का पूरा साथ दिया। ममून ने माना कि वह हिंसा में शामिल थे। उन्होंने बताया कि 4 लोगों ने मिलकर साजिश की। वे सभी पीएम के आवास पर रोज मीटिंग करते थे।

ममून ने कहा कि उन्होंने 36 साल की सर्विस में कोई जुर्म नहीं किया। इस घटना ने उसकी छवि खराब की है। उनकी दलील सुनने के बाद जज ने कहा है कि हम कम सजा देंगे।

वीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वीआरएस विधायकों के अयोग्यता मामले पर तेलंगाना के स्पीकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस, विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के निर्देश का पालन न करने के लिए जारी किया। बीती 31 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिया था कि वे तीन महीने के भीतर वीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप :हालांकि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

के बावजूद तय समयसीमा के भीतर फैसला नहीं लिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान पीठ ने इसे अदालत की घोर अवमानना माना और स्पीकर को नोटिस जारी किया है। हालांकि पीठ ने तेलंगाना स्पीकर को अभी अगले आदेश तक अदालत में पेश होने से छूट दे दी है।

तेलंगाना स्पीकर कार्यालय ने भी दायर की याचिका :तेलंगाना विधानसभा स्पीकर कार्यालय की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने के लिए आठ हफ्तों का समय और देने की मांग की गई है। इस याचिका पर भी अदालत ने नोटिस जारी किया है। स्पीकर ऑफिस की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि विधायकों की अयोग्यता संबंधी चार मामलों पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और तीन अन्य में सबूत रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह अदालत की घोर अवमानना है।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार को दिए निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो भी नुकसान हुआ है, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति की जाए। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में डाली गई याचिका में पेड़ों की अवैध कटाई और गैरकानूनी निर्माण के खिलाफ याचिका डाली गई थी। इसे लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई केंद्रीय सशक्त समिति (सीईसी) से परामर्श कर तीन महीने के अंदर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीईसी उत्तराखंड द्वारा तैयार की गई पारिस्थितिक पुनर्संशोधन योजना की निगरानी करेगी। अदालत ने राज्य सरकार को अवैध पेड़ कटाई की भरपाई के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया। सीजेआई ने कहा, अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो यह इको-टूरिज्म के तौर पर होना चाहिए।

आर्मी चीफ बोले- ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था:

पाकिस्तान फिर मौका देगा तो जवाब और कड़ा होगा; आतंक फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्मी चीफ जनरल उम्रेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि फिल्म तो शुरू भी नहीं हुई थी, बस 88 घंटे का ट्रेलर दिखा था। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो हम उन्हें बताने में पीछे नहीं हटेंगे कि जिम्मेदार देश पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं। आर्मी चीफ दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रगति की बात करता है, इसलिए जो लोग

आतंक फैलाते हैं, उन्हें रोकने के लिए सख्त कदम जरूरी हैं। आर्मी चीफ ने बताया, भारतीय सेना भविष्य को जमीन से जुड़कर देखती है। हम पांच जेनेरेशन के वॉरफेयर में लड़ रहे हैं और सेना

उसी के अनुसार खुद को बदल रही है। पहले युद्ध में फैसले लेने में दिन लग जाते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अगर युद्ध 48 घंटे में भी लड़ना पड़े तो देश की पूरी ताकत एक साथ लगानी होगी। जनरल द्विवेदी ने कहा कि असली ताकत वहीं होती है जब दुश्मन को यकीन हो कि अगर उसने कोई गलती की तो भारत तुरंत कार्रवाई करेगा। आज भारत की डिफेंस क्षमता इतनी मजबूत हो चुकी है कि सामने वाला देश हमारे इरादों को गंभीरता से लेता है।

सेना को मिलेंगी स्वदेशी लेजर आधारित एटी-ड्रोन प्रणाली, अब दो किलोमीटर दूर से ही दुश्मन ड्रोन होंगे डेर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सेना और वायुसेना अब ड्रोन खतरों का मुकाबला और मजबूती से कर सकेंगी क्योंकि दोनों सेनाएं पहली बार 16 स्वदेशी ड्रोन-रोधी प्रणाली खरीदने जा रही हैं। ये नई एटी-ड्रोन प्रणालियां दो किमी की दूरी से ही दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से निष्क्रिय कर सकेंगी। हाल के वर्षों में दुश्मन देशों और आतंकी संगठनों द्वारा बढ़ते ड्रोन इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाला है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार और रक्षा तंत्र तेजी से कदम उठा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय जल्द ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उन्नत इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (आईडीडीएस मार्क-2) को मंजूरी देने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली लेजर आधारित 10 किलोवॉट बीम से लैस है, जो पहले संस्करण की तुलना में दूगुनी दूरी से दुश्मन ड्रोन को तबाह कर सकती है। पहले संस्करण की क्षमता सिर्फ एक किमी तक सीमित थी। उन्नत लेजर हथियारों की दिशा में बड़ा कदम :नई प्रणाली की खासियत यह भी है कि यह न सिर्फ ड्रोन को मार गिरा सकती है, बल्कि उनके सेंसर और संचरणा को भी क्षतिग्रस्त कर ऑपरेशन को पूरी तरह रोक देती है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल के बाद लेजर आधारित इंटरसेप्शन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सेना और वायुसेना अब ड्रोन खतरों का मुकाबला और मजबूती से कर सकेंगी क्योंकि दोनों सेनाएं पहली बार 16 स्वदेशी ड्रोन-रोधी प्रणाली खरीदने जा रही हैं। ये नई एटी-ड्रोन प्रणालियां दो किमी की दूरी से ही दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से निष्क्रिय कर सकेंगी। हाल के वर्षों में दुश्मन देशों और आतंकी संगठनों द्वारा बढ़ते ड्रोन इस्तेमाल ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाला है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए सरकार और रक्षा तंत्र तेजी से कदम उठा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय जल्द ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उन्नत इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम (आईडीडीएस मार्क-2) को मंजूरी देने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार यह प्रणाली लेजर आधारित 10 किलोवॉट बीम से लैस है, जो पहले संस्करण की तुलना में दूगुनी दूरी से दुश्मन ड्रोन को तबाह कर सकती है। पहले संस्करण की क्षमता सिर्फ एक किमी तक सीमित थी। उन्नत लेजर हथियारों की दिशा में बड़ा कदम :नई प्रणाली की खासियत यह भी है कि यह न सिर्फ ड्रोन को मार गिरा सकती है, बल्कि उनके सेंसर और संचरणा को भी क्षतिग्रस्त कर ऑपरेशन को पूरी तरह रोक देती है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से बड़े पैमाने पर ड्रोन इस्तेमाल के बाद लेजर आधारित इंटरसेप्शन सिस्टम पर तेजी से काम कर रहा है।